

निदेशालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

क्रमांक:- निराराअ/बीका/संस्था/एफ-492/राज-अभि/2015/

दिनांक:-

कार्य निविदा वित्तीय वर्ष 2015-16 (1)

इस विभाग में निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए रस्टिर्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी जो पेन नम्बर रखती हो तथा सेवाकर अदा करती हो, श्रम विभाग/रोजगार कार्यालय से पंजीबद्ध हो, वह फर्म अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में करने के लिये अपनी निविदा प्रपत्र दिनांक 10.04.15 को 3.00 बजे तक जमा करवायेंगे तथा उसी दिनांक को 4.00 बजे निविदाताओं के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

क्र सं	अनुबन्ध के कार्य का नाम	योग्यता	अनुमानित	अमानत राशि 2%
1	गूढ लिपि भाषा के जानकार का कार्य (जॉब बेसिस/क्वाटिटी बेसिस पर)	मुडिया भाषा का जानकार/अभिलेखागार में 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव	1.10 लाख वार्षिक (9000/-मासिक) प्रति व्यक्ति	2200
2.	फोटोग्राफर से सम्बन्धित समस्त कार्य। (जॉब बेसिस/क्वाटिटी बेसिस पर)	सीनियर सैकण्डरी विज्ञान विषय में उत्तीर्ण, माईक्रोफिल्म सम्बन्धी कार्य, किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को वरीयता	0.60 लाख वार्षिक (4836/-मासिक) प्रति व्यक्ति	1200
3.	कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्य	ओ-लेवल/PGDCA/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में कार्य अनुभव रखता हो तथा पे-मेनेजर प्रोग्राम का अनुभव हो।	1.50 लाख वार्षिक (6136/-मासिक) प्रति व्यक्ति	3000
4.	सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य (विभाग से सम्बन्धित कार्य - बस्ते क्रमवार रखना, झाड़ू लगाना, पौछा लगाना इत्यादि तथा कार्यालय द्वारा बताये गये समस्त कार्य	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	2.50 लाख वार्षिक (4316/-मासिक) प्रति व्यक्ति	5000
5.	विभाग के समस्त कमरे अभिलेख कक्ष, विभागीय परिसर एवं टोयलेट आदि स्वीपर सम्बन्धी समस्त कार्य तथा कार्यालय द्वारा बताये गये समस्त कार्य	-	1.50 लाख वार्षिक (4316/-मासिक) प्रति व्यक्ति	3000
6.	बागवान का कार्य	-	0.60 लाख वार्षिक (4836/-मासिक) प्रति व्यक्ति	1200

- 12 क्र.सं. 1 से 6 के लिये निदेशालय, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कुशल, अकुशल के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित मासिक/दैनिक दर से कम दर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा देने पर उसकी निविदा मान्य नहीं होगी। एजेन्सी को श्रम विभाग की निर्धारित दर पर कार्मिकों को भुगतान करना आवश्यक होगा।
- 13 इस विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में डाली गई प्लेसमेंट एजेंसियों की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 14 निविदा संबंधी प्रपत्र विवरण शर्तों आदि को कार्यालय समय में रु. 200/- नगद जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। जो वापिस देय नहीं होगा।
- 15 कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार कम/अधिक करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। मात्रात्मक कार्य की स्थिति में आदेश पृथक जारी किया जायेगा, आदेशानुसार कार्य सम्पादित करना होगा।
- 16 अनुबन्ध निविदा संबंधित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये बीकानेर जिला मुख्यालय, ज्यूरिडिक्शन होगा।
- 17 न्यूनतम निविदा दर को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- 18 निदेशालय, श्रम विभाग, जयपुर एवं निदेशालय रोजगार कार्यालय, जयपुर से पंजीकृत एजेन्सी को वरियता दी जायेगी।
- 19 प्लेसमेंट एजेन्सी से प्रति माह दो प्रति में कार्य का बिल देगी, बिल लेकर भुगतान किया जायेगा।
- 20 प्लेसमेंट एजेन्सी को विभाग द्वारा प्रतिमाह बताये गये कार्यों को आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध कराकर पूर्ण करवाना होगा। आदेश मिलने के पश्चात संबंधित एजेन्सी द्वारा व्यक्ति उपलब्ध न कराने पर दो नोटिस के पश्चात् विभाग एजेन्सी का आदेश निरस्त कर देगी।
- 21 क्र.सं. 1 से 6 के लिए निदेशालय, श्रम विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा कुशल, अकुशल के वर्गीकरण के अनुसार मासिक/दैनिक दर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये निविदा भरने की दिनांक तक श्रम विभाग, द्वारा बढ़ोतरी/कमी की जाती है तो वह दर मान्य होगी।

22 विस्तृत शर्तें व निर्देश विभाग की वेबसाइट www.rsad.rajasthan.gov.in एवम राजस्थान सरकार की वेबसाइट (राज्य लोक उपापन पोर्टल) sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

हरशराम
34 निर्देशक 24/03/15
राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

जी-शिड्यल

1. निविदा प्रपत्र की कीमत :- 200/- रु.
2. निविदा जमा करवाने की अन्तिम दिनांक :-10.04.2015 को 3.00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि - दिनांक 10.04.2015 सायं 4.00 बजे
4. धरोहर राशि :- आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद की अनुमानित लागत के साथ 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी एवं शेष 3 प्रतिशत राशि चयनित प्लेसमेंट एजेन्सी को निविदा खुलने पर कार्यदेश मिलने वाली फर्म को जमा करवानी होगी। कुल 5% राशि जमा करवानी होगी।

निदेशालय, अभिलेखागार विभाग, बीकानेर हेतु निम्नानुसार कार्य करवाया जाना है :-

क्र. सं.	अनुबन्ध के कार्य का नाम	योग्यता	देय राशि (अनुमानित)	फर्म द्वारा प्रस्तावित दर
1	गूढ लिपि भाषा से सम्बन्धित कार्य	मुडिया भाषा का जानकार/अभिलेखागार में पांच वर्षों का कार्य करने का अनुभव/अभिलेखागार की गूढ लिपि पढने का पांच वर्ष का शोध का अनुभव।	1.10 लाख वार्षिक (9000/-मासिक प्रति व्यक्ति)	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)
2.	फोटोग्राफर से सम्बन्धित समस्त कार्य। (जॉब बेसिस/क्वांटिटी बेसिस पर)	सीनियर सैकण्डरी विज्ञान विषय में उत्तीर्ण, माईक्रोफिल्म संबंधी कार्य तथा किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को वरीयता	0.60 लाख वार्षिक (4836/- मासिक) प्रति व्यक्ति	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)
3.	कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य (जॉब बेसिस)	ओ-लेवल/PGDC/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में कार्य का अनुभव रखता हो तथा पे-मेनेजर प्रोग्राम का अनुभव हो।	1.50 लाख वार्षिक (6136/- मासिक) प्रति व्यक्ति	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)
4	सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य (विभाग से सम्बन्धित कार्य - बस्ते क्रमवार रखना, झाड़ू लगाना, पौछा लगाना इत्यादि तथा कार्यालय द्वाराबताये गये समस्त कार्य (जॉब बेसिस)	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	2.50 लाख वार्षिक (4316/- मासिक) प्रति व्यक्ति	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)

5	विभाग के समस्त कमरे अभिलेख कक्ष, विभागीय परिसर एवं टॉयलेट आदि की सफाई, तथा स्वीपर सम्बन्धी समस्त कार्य तथा कार्यालय द्वारा बताये गये समस्त कार्य (जॉब बेसिस)	—	(1.50 लाख वार्षिक) (4316 /— मासिक) प्रतिव्यक्ति	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)
6	बागवान का कार्य (जॉब बेसिस)	—	0.60 लाख वार्षिक (4836 /— मासिक) प्रति व्यक्ति	मासिक दर (प्रति व्यक्ति)

संलग्न : शर्तें

नोट : 2 % अमानत राशि क्रमशः रु. 2200 /—, 1200 /—, 3000 /—, 5000 /—, 3000 /— एवं 1200 /— डिमाण्ड ड्राफ्ट / नगद जमाकर पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करें।

निदेशालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

इस विभाग में निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए रजिस्टर्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी जो पेन नम्बर रखती हो तथा सेवाकर अदा करती हो, श्रम विभाग/रोजगार कार्यालय से पंजीबद्ध हो, से अनुबन्ध के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 10.04.2015 को 3.00 बजे तक आवेदन पत्र जमा करवायेंगे उसी दिनांक को 4.00 बजे निविदाताओं के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

अनुबन्ध पर कार्य करने की शर्तें

क्र. सं.	अनुबन्ध के कार्य का नाम	कार्य की शर्तें (निम्नलिखित दरें अधिकतम होगी)
1	गूढ लिपि भाषा से सम्बन्धित कार्य	विभाग में संग्रहित विभिन्न गूढ लिपि भाषा के अभिलेखों को पढ़ना, अध्ययन करवाना तथा प्रकाशन में पुस्तकों को सम्पादित करवाने का कार्य, में सहयोग करना, इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर बताये गये समस्त कार्यों को करना।
2	फोटोग्राफर से सम्बन्धित कार्य एवं विभाग में माइक्रोफिल्म से संबंधित समस्त कार्य। (जॉब बेसिस/क्वांटिटी बेसिस पर)	प्रतिदिन :- दो माइक्रोफिल्म रोल नेगेटिव से पॉजिटिव करना। अथवा 100 पृष्ठ माइक्रोफिल्म करना। अथवा पांच माइक्रोफिल्म रोल को साफ सफाई व जांच करना अथवा प्रतिदिन दो माइक्रोफिल्म रोल का सूचिकरण अथवा विभाग में चल रहा माइक्रोफिल्मिंग अपनी देख रेख में करवाना अथवा शोधार्थियों व अध्याचन से प्राप्त मांग के अनुसार माइक्रोफिल्म को रीडर पर चढ़ाकर पढ़ने में मदद करना।
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर (जॉब बेसिस)	1. कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त कार्य। कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अवकाश के दिन जिस दिन कार्यालय खुलेगा। 2. आवश्यकतानुसार उपस्थित रहना होगा तथा कार्यालय द्वारा बताये गये अन्य कार्य भी करने होंगे। 3. डिजिटल अभिलेखों की जांच, डाटा फिडिंग, कम्प्यूटर टाईपिंग, पे-मेनेजर सम्बन्धी समस्त कार्य
4.	सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य - (विभाग से सम्बन्धित कार्य बस्ते क्रमवार रखना, झाड़ू लगाना, पौचा लगाना इत्यादि	कार्यालय में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अवकाश के दिन जिस दिन कार्यालय खुलेगा। आवश्यकतानुसार उपस्थित रहना होगा तथा कार्यालय द्वारा बताये गये अन्य कार्य भी करने होंगे।

	तथा कार्यालय द्वारा बताये गये, समस्त कार्य	
5	विभाग के समस्त कमरों अभिलेख कक्ष, विभागीय परिसर एवं टोयलेट आदि स्वीपर सम्बन्धी समस्त कार्य तथा कार्यालय द्वारा बताये गये समस्त कार्य	कार्यालय में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अवकाश के दिनों में परिसर की प्रतिदिन सफाई करनी होगी। कार्यालय के समस्त टोयलेट प्रतिदिन दो बार साफ करना, प्रतिदिन सम्पूर्ण परिसर व प्रतिदिन परिसर के अन्दर कमरों व अभिलेख कक्षों की सफाई करनी होगी। तथा कार्यालय द्वारा बताये गये अन्य कार्य भी करने होंगे।
6	बागवान का कार्य	कार्यालय में प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रहकर विभागीय पार्क व पेड़ पौधों की सार संभाल का कार्य तथा विभाग द्वारा बताये गये अन्य कार्य भी करने होंगे। बागवान को पूरे महिने उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के राजकीय अवकाश में अनुपस्थित नहीं रहेगा।


नोट :-

1. क्रम संख्या 1 के लिये अभिलेखागार/प्राच्य भाषा विभाग एवं भाषा से सम्बन्धित अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. क्र. सं. 2 के लिए फोटोग्राफी में डिप्लोमा रखने वाले को एवं इस विभाग में पूर्व में कार्य कर चुकी फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. क्र.सं. 1 से 6 तक के कार्य के लिये श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कुशल, अकुशल के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित मासिक/दैनिक दर से कम दर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा देने पर उसकी निविदा मान्य नहीं होगी। एजेंसी को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर एवं समय-समय पर जारी नवीन निर्धारित दरों के आधार पर कार्मिकों को भुगतान करना आवश्यक होगा,
4. रोजगार निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर से पंजीकृत तथा पूर्व में विभाग में अच्छा कार्य कर चुकी फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. इस विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में डाली गई प्लेसमेंट एजेंसियों की निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा संबंधित प्रपत्र विवरण शर्तों आदि को कार्यालय समय में अनुबन्ध की राशि के अनुसार रु. 200/- नगद जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

7. कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार कम/अधिक करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। मात्रात्मक कार्य की स्थिति में आदेश पृथक जारी किया जायेगा आदेशानुसार कार्य सम्पादित करना होगा।
8. अनुबन्ध निविदा संबन्धित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये बीकानेर जिला मुख्यालय ज्यूरिडिक्शन होगा।
9. न्यूनतम निविदा दर को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
10. जिस दिन फर्म द्वारा सम्बन्धित कार्य नहीं करवाया जायेगा। उस दिन की राशि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दिन की दर से फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि में से कम कर दी जायेगी एवं संविदा कार्यों के लिये कार्मिक निम्नांकित संख्या में उपलब्ध करवाये जाने हैं।

अनुबन्ध के कार्य का नाम	अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	अनुपस्थिति पर काटी जाने वाली राशि
गूढ लिपि भाषा से सम्बन्धित कार्य	01	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।
फोटोग्राफर से सम्बन्धित कार्य एवं विभाग में माईक्रोफिल्म से संबंधित समस्त कार्य। (जॉब बेसिस/क्वांटिटी बेसिस पर)	01	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।
कम्प्यूटर ऑपरेटर (जॉब बेसिस)	02	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।
सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य — (विभाग से सम्बन्धित कार्य बस्ते क्रमवार रखना, झाड़ू लगाना, पौचा लगाना इत्यादि तथा कार्यालय द्वारा बताये गये, समस्त कार्य	05	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।
विभागीय परिसर एवं टोयलेट आदि स्वीपर सम्बन्धी कार्य समस्त कार्य तथा कार्यालय द्वारा बताये गये समस्त कार्य	03	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।
बागवान का कार्य	01	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से।

11. उपर्युक्त शर्तों एवं कार्यों में परिवर्तन का अधिकार निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर को रहेगा।
12. अन्य नियम व शर्तें राजस्थान सरकार के द्वारा तय किये गये अनुसार मान्य होगी।
13. फर्म द्वारा कार्य करवाने वाले कार्मिकों को भुगतान समय पर देना होगा इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त होगी तो फर्म से अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
14. गूढ लिपि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सहायक निदेशक, बीकानेर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, फोटोग्राफर से सम्बन्धित समस्त कार्य को फोटोग्राफी सेक्सन में कार्यरत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य को कम्प्यूटर प्रभारी एवं अधिकारी, सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य, विभागीय परिसर एवं टोयलेट आदि स्वीपर सम्बन्धी समस्त कार्य, बागवान के कार्य को विभागीय केयर टेकर/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह प्रमाणित किया जायेगा। प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
15. निविदा विज्ञप्ति में अनुबन्ध कार्य हेतु निर्धारित योग्यता जहां लागू है उसके लिए फर्म को लगाये गये कार्मिक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
16. कार्य आदेश मिलने वाली फर्म को 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र आदेश मिलने के सात दिवस में देना होगा।
17. फर्म द्वारा कार्मिक उपलब्ध न करवाने पर विभाग द्वारा नोटिस देकर फर्म का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
18. जी-शीड्यूल की शर्तें विभाग की वेबसाईट www.rsad.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान सरकार की वेबसाईट (राज्य लोक उपापन पोर्टल) sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।


उप निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार
बीकानेर।